मिर्जापुर में पुराने मंदिर का रख-रखाव

4687. **श्री राम सागर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में जिला मिर्जापुर के मझवाना विकास खण्ड के ग्राम लखक व गोधना में स्थित शंकर जी के पुराने मन्दिर का वर्ष 1977–78 में पटना के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या था;

(ख) क्या मन्दिर के रख-रखाव के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंदिर के पास चल तथा अचल सम्पत्ति के रूप में कितनी जायदाद है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश में जिला मिर्जापुर के मझवा विकास खण्ड के ग्राम लढ़वाक-गोधना में स्थित पुराना शिव मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में है। फिर भी, कुछ समय पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी ने इस स्थल का निरीक्षण भी किया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इस मंदिर के रखबरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आती है। और उसी के पास मन्दिर की चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा भी होगा।

विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम

4688. **श्री राम कंवर बेरवा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों में कानून की डिग्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम तथा स्वयंपाठी विद्यार्थियों को प्रवेश देने की व्यवस्था है;

(ख) दिल्ली, जयपुर, पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी उपरोक्त व्यवस्था आरम्भ करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कानून में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान नहीं किया जाता है। तथापि, कुछ विश्वविद्यालय प्राइवेट उम्मीदवारों को कानून परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं। वे ये हैं :—अवधेश प्रताप सिंह, इंदौर, जबलपुर, जीवाजी, रविशंकर, सागर, विक्रम, नागपुर, पूना, बरहमपुर, संबलपुर, उत्कल, अवध और बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। बार काउंसिल आफ इंडिया कानून में पत्राचार पाठ्यक्रम के हक में नहीं है। उनके नियमों में भी ऐसे व्यक्तियों को एडवोकेट के रूप में दाखिल करने की व्यवस्था नहीं है, जिन्होंने प्राइवेट रूप से कानून में अपनी डिग्रियां प्राप्त की हैं।

राज्यों में प्राइमरी स्कूल के छात्रों पर प्रति छात्र व्यय

4689. **ले दलपत सिंह परस्ते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में प्राइमरी स्कूल के प्रत्येक छात्र पर होने वाले अनुमानित व्यय की सरकार ने गणना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां छात्रों की संख्या अधिक है; और

(घ) क्या आदिवासी क्षेत्रों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई नई योजना तैयार की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) और (ख)जी, हां। विवरण संलग्न है, जिसमें 1975–76 वर्ष से संबंधित उपलब्ध नवीनतम सूचना दी गई है।

(ग) 1977–78 वर्ष से संबंधित मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी राज्यों में, प्राथमिक स्तर (6–11 आयु-वर्ग की तदनुरूपी आबादी की 1–5 कक्षाओं में दाखिले की प्रतिशतता) पर दाखिले का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है।